

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1766/ FP/UK/ROAD/9220/2014 देहरादून: दिनांक: 20 जनवरी, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:-जनपद-अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/9220/2014)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 19-11-2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 19-11-2019 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 3190 दिनांक 15.01.2020 के क्रम में बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है।

S.No	EDS	REPLY
1	बिन्दु संख्या 1 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग का Start एवं End point दिखाए बिना नया digital map, Sol toposhet map अपलोड किया गया है। जिसकी Shape KML file में भिन्न है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि करने का कारण स्पष्ट करें तथा सही digital map of toposheet upload जिसमें Start एवं end points दिखाए गये हो तथा उसकी और KML file की Shape समान हों।	बिन्दु संख्या 1 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	बिन्दु संख्या 02 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया है, कि ग्रामों एवं उल्लेखित कालेजों की स्थिति KML file में अंकित कर दी गयी है, परन्तु KML file में अभी भी स्थित अंकित नहीं हो पायी है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि ग्रामों एवं उल्लेखित कालेजों की स्थिति KML file में अंकित कर पैरा C (ii)-(b) पार्ट । में अपलोड करना सुनिश्चित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 02 के प्रतिउत्तर में ग्रामों एवं उल्लेखित कालेजों की स्थिति KML file में दर्शाकर पार्ट । के पैरा C (ii)(b) पार्ट । में अपलोड कर दिया गया है।
3	बिन्दु संख्या 3 व 4 के प्रतिउत्तर में नया डिजिटल मैप अपलोड कर दिया गया है। जिसमें प्रस्तावित मोटर मार्ग की Shape समान है परन्तु Geo coordinates 69 से कम कर 28 कर दिये है। तथा अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का डिजिटल मैप 0 से 28 पाइन्ट तक ही है। राज्य से अनुरोध है कि बिन्दु संख्या 03 तथा 04 का सही जवाब पुराने digital map के परिपेक्ष में प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 03 व 04 के प्रतिउत्तर में नया डिजिटल मैप में 61 से 50 तक के वैकल्पिक समरेखण का प्रस्ताव विभाग, एवं प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि निरीक्षण के दौरान स्थल पर प्रस्तावित समरेखण से वैकल्पिक समरेखण में अत्यधिक मात्रा में वृक्ष प्रभावित हो रहे है, एवं मोटर मार्ग की लम्बाई भी अधिक हो रही है, जिसकी प्रमाण पत्र संलग्न कर

		प्रेषित किया जा रहा है। अतः प्रस्तावित समरेखण का ही चयन किया जाना ही उचित होगा।
4	बिन्दु संख्या-05 द्वारा राज्य सरकार से प्रस्ताव के औचित्य की मूल प्रति की मांग की गयी थी परन्तु राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया है कि सम्बन्धित जानकारी अपलोड कर दी गयी है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित औचित्य की मूल प्रति इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 05 के क्रम में मूल प्रति के लिये प्रस्तावक को लिखा गया है, मूल प्रति प्राप्त होते ही तत्पश्चात प्रेषित कर दी जायेगी।

संलग्न-यथोपरि।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 22/11/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

र
।
र
य
।
र
से
क्ष
मी
र